


दि. 24.7.24 को पेश होवे।

SDO

24.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की
अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट है
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
वकील वादी ने नॉट-प्रेसन करने का
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा
नॉट-प्रेसन करने के आधार पर
वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फॉसल शुमार होकर वाद
तकमिल दायिमल दफ्तर होवे।

Not
press

(M)
24/7/24


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा